न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 259/2024

अनवान : –

1. नरेश पुत्र बनवारी नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रोशनी पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. मनीष कुमार पुत्र बनवारी नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रोशनी पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. पतराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. बनवारी पुत्र पतराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक फेफाना तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **गैरसायल स0 1**

निर्णय दिनांक: 03/12/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 157/156 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1455/5819 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के एवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 193/57 की कुल 3.6070 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो सायल के नाम बतौर हिन्दु खानदान दर्ज है। गैरसायल स0 1 व 2 उक्त वाद भूमि में से सायलान को कोई हक हिस्सा नही देना चाहते है एवं बिना नाजायज जरूरत के भूमि को रहन, बैय करना चाहते है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 157/156 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1455/5819 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के एवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 193/57 की कुल 3.6070 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:16:04 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री हवासिंह पूनिया ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया की रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 157/156 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1455/5819 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है अर्थात उत्तरदाता की स्वयं की पैदाकर्ता भूमि है जिसमें सायल व अन्य गैरसायल को कोई हक हिस्सा नही है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

अधिवक्ता वादी का कथन है कि वाद भूमि सायलान की दादालाई खातेदारी भूमि जो की संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित भूमि है जबकि जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि दयालसिंह को अलॉट हुई थी जो की अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये बैयनामा दयालसिंह से खरीद की हुई है। अत रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 157/156 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1455/5819 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं की खरीद शुदा भूमि है उक्त कथन सत्य है लेकिन उक्त भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित है या नही का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो की प्रार्थी के दादा व पिता है। वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो गया है तो अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि अप्रार्थीगण रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 157/156 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1455/5819 हिस्सा भूमिएवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 193/57 की कुल 3.6070 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:16:04 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर